

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती सज विभाग
(पंचायती राज)


क्रमांक एफ.4()पंरावि/पीसी/प्र.गा.के संग अभि./आ.भू./2012-13/ 16 जयपुर, दिनांक

09-01-2013

::अधिसूचना::

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-98 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 162 के उप-नियम(2) की शक्तियों को प्रशासन गांवों के संग अभियान-2013 की अवधि दिनांक 10.01.2013 से 28.02.2013 तक के लिए संबंधित जिला कलेक्टर को प्रत्यायोजित करती है। यह शक्तियां केवल राजकीय विभागों एवं राजकीय संस्थाओं को आंवटन किये जाने के संबंध में ही प्रयोग की जावेंगी।

आज्ञा से,


(किशनलाल बाईडिया)
उप शासन सचिव(विधि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र (असाधारण) के भाग-4 (सी.) (जी.एस.आई.आर.) के उपखण्ड 1 में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय पंचायती राज मंत्री महोदय।
4. विशिष्ठ सहायक, माननीय पंचायती राज राज्य मंत्री महोदय।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
7. निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
8. जिला कलेक्टर, समस्त।
9. मुख्य / अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
11. रक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव(विधि)